सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-239/2022 दिनांक- 28-जुलाई-2022

प्रेस- विज्ञप्ति

थाना- जहानागंज

पीसीआर पर आये अभियुक्त के निशानदेही पर आलाकत्ल गड़ासी बरामद

पूर्व की घटना- वादी श्री श्रवण नोना पुत्र पेशु नोना निवासी बारीगाँव मैनुद्दीनपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर मु0अ0स0 **216/22 धारा 323/504/506/458/308/324/34 भादवि विरुद्ध** 1. दीपक S/O पत्तू , 2. भूषण S/O समबली 3. योगी S/O इन्दल 4. निरहू S/O सरदार 5 विपिन S/O मुल्ला, 6. मुल्ला S/O चन्नर 7. टुनटुन नोना S/O मुल्ला 8. सरिता W/O पत्तू 9. काजल W/O संजय 10. शीला W/O सोहित 11. सुमन W/O नीरज निवासीगण ग्राम मैनुद्दीनपुर बारीगाँव थाना जहानागंज आजमगढ़ दिनांक 31.05.22 को थाना जहानागंज आजमगढ़ पर पंजीकृत होकर पंजीकृत कर विवेचना मे अमल मे लाई गयी।

उ0नि0 घनश्याम यादव मय हमराह का0 विजय यादव का0 कमलेश गोंड के रवाना मा0न्यायालय का आदेश पीसीआर सम्बंधित अभियुक्त टूनटून पुत्र मुल्ला नोना निवासी मैनुद्दीनपुर बारीगाव थाना जहानागंज आजमगढ़ का दिनांक 28.07.22 को आठ घन्टे का पीसीआर रिमाण्ड मिला। मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन मे जिला कारागर आजमगढ़ पहुचकर नियामानुसार पीसीआर रिमाण्ड पर लेकर 161 द0प्र0सं0 में अभियुक्त के पास से कुल्हाडी/गडासा गन्ने के खेत में छिपाकर रखने की बात स्वीकार की और उसकी निशानदेही पर ही बरामद करना सम्भव है। तत्पश्चात् उ0नि0 मय हमराही व मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त टुनटुन नोना उपरोक्त को साथ लेकर बउम्मीद बरामदगी अभियुक्त के बताये हुए स्थान ग्राम मैनुद्दीनपुर बारीगाँव पहुंचा व अभियुक्त के निशानदेही व बताये हुए स्थान से गन्ने के खेत से अभियुक्त द्वारा एक अदद आलाकत्ल गड़ासा बरामद किया गया फर्द बरामदगी मौके पर तैयार किया गया। बरामद कर अग्रिम कार्यावाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 **216/22 धारा 323/504/506/458/308/324/34/304 भादवि** थाना जहानागंज आजमगढ़

बरामदगी

1. **एक अदद गडासा (जिसमे बास का दण्डा लगा हुआ**

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1-प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह उ0नि0 घनश्याम यादव का0 विजय यादव थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.07.2022 को आवेदिका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि आवेदिका की नाबालिक लड़की को किशन राजभर पुत्र महेन्द्र राजभर ने बहलाफूसलाकर कहीं भगा ले गया है, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 153/2022 धारा 363/366 भा0द0वि0 बनाम किशन राजभर पुत्र महेन्द्र राजभर निवासी सविलखा उर्फ केशवपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था। पीड़िता की बरामदगी दिनांक 22.07.2022 को की गयी है व अभियुक्त किशन राजभर की आज दिनांक 28.07.2022 को गिरफ्तारी की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 28.07.2022 को उ0नि0 श्याम सिंह मय हमराहीयान द्वारा मुकदमा उपरोक्त का वांछित अभियुक्त किशन राजभर इस समय भीमबर पुलिया के पास से समय करीब 04.45 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. किशन राजभर पुत्र महेन्द्र राजभर ग्राम सविलखा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बताया (केशवपुर)

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 153/2022 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी स्थान

1. भीमबर पुलिया थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

पूछताछ विवरणः-

1. अभियुक्त द्वारा अपना बयान अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय मे देना बता रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 श्याम सिंह का0 बासुकीनाथ सिंह का0 जयराम निषाद का0 संदीप शाह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- फूलपुर

चोरी की बोलेरो वाहन के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27.07.2022 उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह व उ0नि0 माखन सिंह मय हमराह अम्बारी चौराहे पर मामूर थे कि सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति बिलारमऊ के पास चोरी की बोलेरो वाहन के साथ मौजूद है तथा किसी के आने का इंतजार कर रहे है , इस सूचना पर तत्काल बिलारमऊ पुलिस बुथ से आगे बढ़े तो एक खड़ी बोलेरो वाहन के नजदीक पहुँचे तो तीन व्यक्ति नीचे उतरकर भागने लगे कि संदेह होने पर पुलिस वालो ने दौड़ाकर एक व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिए तथा 2 अन्य व्यक्ति मौके पर अँधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पकड़े गए व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम सन्दीप कुमार अग्रहरि पुत्र चन्द्र प्रकाश अग्रहरि निवासी पुरानी बाजार शाहगंज थाना शाहगंज जनपद जौनपुर उम्र 33 वर्ष बताया। पकड़े गए व्यक्ति से मौके से फरार व्यक्तियों के बारे में पूछा गया तो बताया कि भागने वालो में एक मेरा चचेरा भाई सुनील कुमार अग्रहरि पुत्र बेदीलाल निवासी पुरानी बाजार थाना शाहगंज जनपद जौनपुर बताया तथा अन्य दूसरा व्यक्ति उसका साथी था उसके बारे में मेरा चचेरा भाई सुनील ही बता सकेगा या मेरे मोबाईल नं0 8601xxxxxx के काल डिटेल से उसका पता लग सकता है। कई दिनो से थाना शाहगंज की पुलिस खोज रही थी इसलिए मोबाईल बन्द करके छिप कर रह रहे थे आज गाड़ी बेचने जा रहे थे। मौके पर मौजूद बोलेरो नं0 यूपी 62 एएच 8494 से सम्बन्धित कागजात माँगा गया तो दिखाने से कासिर रहा तथा कड़ाई से पूछने पर बताया कि मेरे चचेरे भाई सुनील कुमार अग्रहरि ने इस गाड़ी को अपने साथी के साथ मिलकर बिहार से चुराया था। हम तीनो लोग मिलकर इस बोलेरो को बिहार से चुराया था तथा पकड़े जाने के डर से इसका नम्बर प्लेट बदलकर बेचने के लिए लाए थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया। मौके पर बरामद बोलेरो UP62AH 8494 को ई-चालान एप पर चेक किया गया तो बरामद वाहन का चेचिस नं0 व इंजन नं0 का मिलान नही हुआ। बरामदशुदा वाहन के चेचिस नं0 MA1X2GFK82C23366 से मोबाईल के ई-चालान एप पर चेक किया गया तो इस चेचिस न0 से वाहन संख्या BR24P 1803 पंजीकृत है जिसका इंजन नं0 GF84C6555588 अंकित है। उक्त बरामदशुदा बोलेरो का वाहन स्वामी लक्ष्मण राम पुत्र स्व0 डोमन राम केयर आफ जालिम राम ग्राम ककई शिवसागर व स्थाई पता चैनपुर पीएस चैनपुर जिला रोहतास बिहार अंकित है। पकड़े गए व्यक्ति का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 411/414/420/473 भादवि का दण्डनीय अपराध है। पकड़े गए व्यक्ति को उसके द्वारा कारित अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 21.34 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 251/2022 धारा 411/414/420/473 भादवि पंजीकृत कर मा0 न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

सम्बन्धित मुकदमा -

251/2022 धारा 411/414/420/473 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सन्दीप कुमार अग्रहरि पुत्र चन्द्र प्रकाश अग्रहरि निवासी पुरानी बाजार शाहगंज थाना शाहगंज जनपद जौनपुर उम्र 33 वर्ष

बरामदगी- एक अदद वोलेरो

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार सिंह का0 वीरेन्द्र यादव का0 विशाल वर्मा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 माखन सिंह हे0का0 शिवप्रसाद सिंह का0 विजय कुमार गोड़ थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

थाना- बरदह

दहेज के लिए प्रताडित करने वाले एवं मृत्यु के लिए प्रेरित करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण / गिरफ्तारी का विवरण –दिनांक 22.06.22 को वादी श्री मो0 अयूब पुत्र जलील सा0 कोहडा थाना बक्सा जनपद जौनपुर की लिखित सूचना के आधार पर वादी की पुत्री शकीना -18. वर्ष को विपक्षी 1-तबरेज (पति) पुत्र महमूद आदि 04 नफर निवासीगण ग्राम उसरगावा थाना बरदह जनपद आजमगढ द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करना एवं घरेलू हिंसा कर मृत्यु के लिए प्रेरित किया गया, के संबंध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 159/22 धारा 498ए/306 भा0द0वि0 व ¾ डी0पी0 एक्ट पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री सतीश कुमार यादव द्वारा सम्पादित की जा रही थी । इसी क्रम मे –

दिनांक- 28.07 .22 को उ0नि0 सतीश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त तबरेज पुत्र महमूद साकिनान उसरगांवा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को जिवली तिराहे पास से समय करीब 11.40 बजे गिरफ्तारी का कारण बताकर नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 159/22 धारा 498ए/306 भा0द0वि0 व ¾ डी0पी0 एक्ट

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- तबरेज पुत्र महमूद सा0 उसरगावा थाना बरदह आजमगढ

पुलिस टीम-

श्री सतीश यादव (उ0नि0) विपिन कुमार सिंह (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ

थाना दीदारगंज

तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 28.07.2022 को उपनिरी0 रविन्द्र नाथ पाण्डेय चौकी प्रभारी मार्टिनगंज थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ मय हमराह को सूचना पर मिली की एक व्यक्ति सोगर की तरफ से आ रहा है जो दरियापुर की तरफ जायेगा। जिसके पास अवैध तमंचा है। आपराधिक किस्म का है। इस सूचना तत्काल सोगर पुलिया पहुचे कि एक व्यक्ति सोगर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया जैसे ही व्यक्ति नजदीक आया तो हमराही कर्मचारीगण द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुये सोगर पुलिया पर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अमित मिश्रा पुत्र स्व0 भृगुनाथ मिश्रा उम्र करीब 24 वर्ष ग्राम पकरौल थाना दीदारगंज जिला आजमगढ़ बताया भागने का कारण पूछते हुए जामा तलाशी लिया गया तो एक अदद तमंचा 315 बोर बरामद हुआ व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर मिला अभियुक्त का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 3/25 A Act का दण्डनीय अपराध का बोध कराते हुए अग्रेतर अपराध रोकने एवम विवेचनात्मक कार्यवाही हेतु समय करीब 7.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0 195/22 धारा 3/25 आर्म्स Act थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अमित मिश्रा पुत्र स्व0 भृगुनाथ मिश्रा उम्र करीब 24 वर्ष ग्राम पकरौल थाना दीदारगंज जिला आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	141/2019	420 भादवि	दीदारगंज	आजमगढ़
2	04/20	406 भादवि	शाहगंज	जौनपुर
3	89/20	379 भादवि	अकबरपुर	अम्बेडकर नगर
4	151/20	8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट	बदलापुर	जौनपुर
5	28/20	420 भादवि	जलालपुर	अम्बेडकर नगर
6	195/22	3/25 आर्म्स एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़

घटनास्थल- सोगर पुलिया

बरामदगी- एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. **थानाध्यक्ष कौशल कुमार पाठक हे0का0 विनोद यादव थाना दीदारगंज आजमगढ़**
2. **उ0नि0 रविन्द्र नाथ पाण्डेय का0 मोनू यादव का0 राजेश थाना दीदारगंज आजमगढ**